न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 14/2019 (53/2011)

GCMS NO. : 2011/00165

–:: प्रार्थीगण ::–

1. मुकनाराम पुत्र गेन्दाराम
2. गोविन्द पुत्र गेन्दाराम के का. मु.
   2/1. कालु पुत्र गोविन्द
   2/2. चम्पादेवी पत्नी गोविन्द
   2/3. लक्ष्मी पुत्री गोविन्द
   2/4. सोनी पुत्री गोविन्द
   2/5. मोनी पुत्री गोविन्द
   2/6. माया पुत्री गोविन्द
   2/7. बीजो पुत्री गोविन्द
   2/8. लता पुत्री गोविन्द
   जातियान सांसी निवासीगण बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली राज0।
3. जवाराराम पुत्र गेन्दाराम के का.मु.
   3/1. सम्पत पुत्र जवाराराम
   3/2. सुन्दर पुत्र जवाराराम के का.मु.
   3/2/1. मुनी पत्नी सुन्दर
   3/3. सलैया पुत्र जवाराराम
   3/4. सुरजीत पुत्र जवाराराम
   3/5. रणजीत पुत्र जवाराराम
4. शिवकरण पुत्र सांवलराम के का.मु
   4/1. प्रकाश पुत्र शिवकरण के का.मु.
   4/1/1. प्रमोद पुत्र प्रकाश
   4/1/2. कमलेश पुत्र प्रकाश
   4/1/3. रविन्द्र पुत्र प्रकाश
   4/1/4. सुरज पुत्र प्रकाश

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. गुठाराम पुत्र सांवलराम के का. मु.
   1/1. धनाराम पुत्र गुठाराम
2. रामलाल पुत्र सांवलराम
3. डुंगाराम पुत्र सांवलराम
   जातियान–सांसी
4. पेमाराम पुत्र माणकराम के का. मु.
   4/1. साबुडी पत्नी पेमाराम
   4/2. चेनाराम पुत्री पेमाराम
   4/3. पपूराम पुत्री पेमाराम
   जातियान–बावरी
   निवासीगण–बलाडा तहसील जैतारण जिला–पाली।
5. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:53:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

4/1/5. ममता पुत्री प्रकाश

4/1/6. बबली पुत्री प्रकाश

4/1/7. विमला पुत्री प्रकाश

4/1/8. सीता पुत्री प्रकाश

4/1/9. रुकमा पत्नी प्रकाश

4/2. मनोज पुत्र शिवकरण

4/3. शंकर पुत्र शिवकरण

4/4. मुकेश पुत्र शिवकरण

जातियान–सांसी निवासीगण बलाडा तहसील–जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 23/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय :– **दिनॉकः 28/04/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलाडा तहसील जैतारण में सायलान एवं गैरसायलान की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 589 रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा भूमि किस्म बारानी अव्वल आयी हुई है। जिस पर पक्षकारान अपने–अपने हिस्सेनुसार उपरोक्त भूमि पर काबिज एवं काश्त करते आ रहे है जिसके पड़ौस निम्न है– पूर्व में–तोलाराम बावरी का खेत, पश्चिम में–जीयाराम सांसी का खेत व कुआ, उत्तर में– आम रास्ता बलाड़ा से जैतारण, दक्षिण में–भेराराम सांसी का खेत है। पक्षकारान के बाप दादा सांवलराम पुत्र बुधाराम के पांच पुत्र है तथा प्रत्येक पुत्र के उपरोक्त भूमि में पांचवा हिस्सा आता है अर्थात् सायल संख्या 1,2 एवं सायल संख्या 3 के कायम मुकाम का 1/5 हिस्सा, सायल संख्या 4 के [illegible] 5 हिस्सा एवं गैरसायल संख्या 1,2,3 के 1/5–1/5 हिस्सा आता है। [illegible] हिस्सेनुसार मौके पर सायलान एवं गैरसायलान काबिज होकर काश्त करते आ [illegible] है। सायलान ने इस वर्ष जवार,

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 16:53:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बाजरे, तारामीरा की फसल बोई है। जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 की नकल साथ पेश है। सांवलराम पुत्र बुधाराम की वंश वृक्षावली प्रार्थना-पत्र में अंकित है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती कृषि भूमि है एवं पक्षकारान की हिस्सा कस्सी गलत दर्ज है जो काबिज दुरूस्त के है उक्त सामलाती कृषि भूमि होने के कारण सायलान अपने हिस्से में खाद बीज डालने हेतु एवं उसमें कुआं वगैरा खोदकर विद्युत कनेक्शन लेने हेतु बैंक से ऋण नहीं ले सकते है तथा सायलान को अनेक परेशानीयों का सामना करना पड रहा है इसलिए सायलान उपरोक्त भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के करवाना चाहता है। सायलान ने गैरसायलान को उक्त भूमि का बंटवाडा करने हेतु दिनांक 30.04.2011 को कहा तो गैरसायलान स्पष्ट रूप से इन्कार हुए व दिनांक 30.04.2011 को जब सायलान अपने खेत में जाने लगे तो गैरसायलान लडाई झगडा करने पर आमादा हुए व धमकी दी की दुबारा खेत में आये तो सायलान को जान से खत्म कर देंगे। यदि कानूनन बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के नहीं किया गया तो सायलान को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति का मुल्यांकन रूपयों में नहीं हो सकेगा। गैरसायलान संख्या 03 ने अपना हिस्सा में से 01 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को बिना कानूनी बंटवाडा किये बैचान कर दिया जिसे निरस्त फरमाया जावें। सायलान मौके पर अपने-अपने हिस्सेनुसार अपने बाप-दादा के समय से मौके पर काबिज एवं काश्त करते आ रहे है तथा राजस्व रेकर्ड में सायलान के बाप-दादा का नाम होने एवं सायलान का मौके पर कब्जा काश्त होने से एवं सायल का शपथ-पत्र से प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में है। यदि गैरसायलान लाठी के बल पर उक्त जमीन का बैचान, बक्सीस या हस्तान्तरण कर दिया तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। तथा गैरसायलान लाठी व जोर जबरदस्ती सायलान के हिस्से की कृषि भूमि का बैचान कर देते है तो सायलान अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से हमेशा-हमेशा के लिये महरूम हो जायेंगे। इसलिए सायलान के पक्ष में व गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना अति-आवश्यक है। अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व जमाबन्दी पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त कारणों से प्रार्थना-पत्र के फिकरा नम्बर 1 में वर्णित भूमि में गैरसायलान को दखलन्दाजी करने, बैचान व बक्सीस एवं हस्तान्तरण करने से जरयि अस्थाई निषेधाज्ञा के वाद के अंतिम निर्णय तक रोका जावे। तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड यथास्थिति बनाये रखी जावे। तथा मौके की भी यथास्थिति बनायी रखी जावे तथा सायलान अपने हिस्से की भूमि में काश्त करें या करावें तो उसमें भी गैरसायलान किसी प्रकार की रोक-टोक व बाधा अडचन आदि नहीं करें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। [illegible] संख्या 4/1 से 4/3, 5 को बावजूद सम्मन सूचना तामिल [illegible] इनके विरूद्ध एक पक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:53:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 1/1, 2 व 3 की ओर से जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया, जो सा.मि. है।

गैरसायल संख्या 1/1, 2 व 3 ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया कि पद संख्या 1 में वर्णित तमाम कथन गलत झूठे व आधारहीन होने से जबाब देहन्दागण स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते है। वादग्रस्त आराजी सायलान एवं जबाब देहन्दागण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि नही है। वादग्रस्त आराजी गैरसायलान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है व गैरसायलान अपनी खातेदारी भूमि पर मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। सायलान शुरू से ही आउट ऑफ पजेशन है। सायलान ने इस पद मे जो पाडौस अंकित किये है वह कतई गलत व नामंजूर है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 में सायलान ने जो वंशावली दर्शायी गयी है जो अपूर्ण है तथा गलत होने से जबाब देहन्दागण स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते है एवं सायलान् ने इस पद मे यह कथन अंकित किया कि वादग्रस्त आराजी मे सायलान् का 1/5 वां हिस्सा है कतई गलत व नामंजूर है सायलान ने मौके पर कभी भी कोई काश्त नही की है सायलान् ने कभी भी ज्वार बाजरा तारामीरा की फसल नही बोई थी राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट रूप से साबित हैं कि वादग्रस्त आराजी मे सायलान् का कभी कोई हक हिस्सा व अधिकार नही था। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 में वर्णित तमाम कथन गलत झूठे व आधारहीन होने से जबाब देहन्दागण अस्वीकार करते है। राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में किसी का भी हिस्सा गलत दर्ज नही हो रखा है। वास्तव मे सायलान का कोई हक हिस्सा व अधिकार वादग्रस्त आराजी मे नही न कभी कोई कब्जा काश्त रहा है इसलिए सायलान कोई भी बंटवाडा बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के करवाने के अधिकारी नही होने से सायलान का प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 में दर्ज कथन गलत झूठे बेबुनियाद होने से जबाब देहन्दागण अस्वीकार करते है। सायलान ने कब्जा प्राप्ति हेतू कोई भी कार्यवाही आज तक नही की है इसलिए कब्जे के अभाव मे सायलान कोई भी दादरसी गैरसायलान के खिलाफ इस प्रार्थनापत्र के जरिये प्राप्त करने के हकदार नही होने से सायलान का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज के है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 में दर्ज तमाम कथन गलत व झूठे होने से जबाब देहन्दागण स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते है। सायलान गैरसायलान संख्या 3 द्वारा गैरसायलान संख्या 4 के पक्ष में किये गये बेचान को इस राजस्व न्यायालय से इस राजस्व प्रार्थनापत्र के जरिये निरस्त करवाने के कानूनी अधिकारी नही है। कानून का यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी अचल सम्पति के सम्बन्ध मे निष्पादित दस्तावेज को चुनौति देने का एक मात्र क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है राजस्व न्यायालय को अचल सम्पति के सम्बन्ध मे निष्पादित किये गये दस्तावेज को निरस्त [illegible] का क्षेत्राधिकार नही होने से यह प्रार्थनापत्र केवल मात्र इसी [illegible] के है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 का जबाब है कि [illegible] प्रथम दृष्टिया केस नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 16:53:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

क्योकि गैरसायलान् वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है विधि का यह स्पष्ट प्रावधान है कि एक रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनी रूप से हकदार नही होता है। सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में नहीं है क्योकि सायलान वादग्रस्त आराजी से आउट ऑफ पजेशन है। यदि गैरसायलान् के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो गैरसायलान के खातेदारी अधिकार प्रभावित होगे इसलिए निश्चित रूप से अपूरणीय क्षति सायलान के बजाय गैरसायलान को होना सुनिश्चित है इसलिए ऐसी स्थिति में सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज के है।

बहस वकील उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं भू-अभिलेखीय दस्तावेजात यथा जमाबंदी संवत् 2065-2068 ग्राम बलाडा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त अविभाजित सह-खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा वाद बाबत् बंटवाडा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। प्रार्थीगण/सायलान ने हस्तगत प्रार्थना में राजस्व रेकर्ड में सायलान के बाप दादा का नाम होने एवं सायलान का कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में होने के कथन किये है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रा.पत्र में वादीगण के कथनों का खण्डन किया है। सह-खातेदारी भूमि के संबन्ध में यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक सह-खातेदार का सह-खातेदारी भूमि के प्रत्येक हिस्से पर स्वामित्व एवं कब्जा निहित होना माना जाता है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सम्पूर्ण आराजी के संबंध में केवल प्रार्थीगण के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला है। साथ ही, प्रार्थीगण का सम्पूर्ण आराजी के संबंध में किस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला है, यह प्रार्थीगण साबित करने में विफल रहे है। लिहाजा यह बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः-** बिन्दु संख्या 01 के विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सह-खातेदारी की भूमि है। अतः ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक सह-खातेदार का अपने हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सम्पूर्ण अराजी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 16:53:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

संबंध में सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थी के पक्ष में ही निहित है। साथ ही सह–खातेदारान के विरूद्ध बिना किसी आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से इन्हें कृषि भूमि से संबंधित अपने हक–अधिकार के उपयोग/उपभोग में कठिनाई उत्पन्न होगी। जिससे निश्चित ही इन्हें अधिक असुविधा कारित होगी। फलतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चूंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुए हैं। साथ ही चूंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण भी सह–खातेदार है तथा प्रत्येक सह–खातेदार को अपने खातेदारी अधिकार का उपयोग एवं उपभोग करनें का प्राथमिक अधिकार होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पडेगा। जिससे अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को होना संभव है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे सम्पूर्ण आराजी के संबंध में अपूरणीय क्षति का बिंदू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हो। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण /वादीगण अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फारेस्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर
(फॉरेस्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/04/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फॉरेस्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:53:26 IST
Reason: SelfAttested